

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत संचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर कोविड-19 के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन के कारणों का अध्ययन

सरला वर्मा*

प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें से एक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में चलने वाले विशेष प्रशिक्षण केंद्र हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश लेने वाले 6-14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण 3 माह से 2 वर्ष या उससे अधिक का भी हो सकता है, जब तक की बच्चा अपनी आयु अनुरूप कक्षा की योग्यता हासिल नहीं कर लेता।

इस लघु शोधपत्र में विशेष प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत बच्चों का केस अध्ययन किया गया है। ये वे बच्चे हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं अथवा कभी विद्यालय प्रवेशित या विद्यालय नहीं गए हुए होते हैं और कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से पुनः विद्यालय शिक्षा से दूर होने एवं उस महामारी का परिवार व स्वयं पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। केस अध्ययन हेतु प्राथमिक विद्यालय के 25 विद्यार्थी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक सह-शिक्षा विद्यालय, जंगपुरा विस्तार, नयी दिल्ली के विशेष प्रशिक्षक केंद्र के बच्चों का चयन किया गया।

इनके केस अध्ययन से पता चला कि ये बच्चे शारीरिक-मानसिक आर्थिक एवं सामाजिक तौर से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 के हालातों की वजह से बच्चे बहुत ही डरे सहमे एवं एकांकी प्रवृत्ति के हो गए हैं। शोधपत्र के निष्कर्ष में यह बताया गया है कि किस प्रकार शिक्षक इन बच्चों को कोविड-19 के हालात में बीती घटनाओं व दृष्टान्तों को भूलाकर विभिन्न विधियों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। साथ ही पहले की तरह स्वस्थ माहौल प्रदान कर सकते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए देश में कई तरह के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं

तथा समय-समय पर उनमें परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं

* असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

के आधार पर शिक्षा से संबंधित अनेक नियमों और सिद्धांतों को लागू भी किया जा रहा है ताकि सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुँचाया जा सके। इनमें से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह विद्यालयी स्तर से संबंधित एक मात्र ऐसा केंद्रीय कानून है जो पूरे भारतवर्ष में लागू है। इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत थी। अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि “संविधान लागू होने से दस वर्ष की अवधि के भीतर, राज्य द्वारा सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा जब तक की, उनकी आयु चौदह वर्ष की नहीं हो जाती है।” लेकिन अभी तक हम लक्ष्य को हासिल करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाए हैं। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह बात की गई है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के ऐतिहासिक होने का महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इसमें पहली बार 6-14 वर्ष के उन बच्चों के बारे में बताया गया जो मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं, विद्यालय से बाहर हैं या कई कारणों से प्रवेश के बाद भी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बच्चों की पहचान करने के पश्चात् उनका नामांकन पड़ोसी स्कूल में किया जाता है। जहाँ पर वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा को बिना कोई शुल्क दिए पूरी करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 2, अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि, “जहाँ, छह वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को

किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।” इसके अंतर्गत आगे भी कहा गया है कि “परंतु जहाँ किसी बालक के, उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है वहाँ उसे अन्य बालकों के समतुल्य होने के लिए, ऐसी स्थिति में और ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।”

इस तरह विद्यालय शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कई गैर-सरकारी संगठन अपने-अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे— शिक्षा से जुड़ी सामग्री बच्चों को मुफ्त उपलब्ध कराना, घर-घर जाकर ऐसे बच्चों को नामांकित करना जो किसी कारण से विद्यालय नहीं जा रहे या शिक्षा पूर्ण किए बिना ही अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं, ऐसे बच्चों जो दिव्यांग हैं एवं विद्यालय आने में असमर्थ हैं, इन बच्चों के लिए के लिए घर पर शिक्षा को उपलब्ध करवाना एवं अन्य बच्चों को विद्यालय आने हेतु प्रेरित करना आदि प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।

कोविड-19 की पहली लहर आने से बच्चे विद्यालय एवं शिक्षा से दूर हो गए। कोविड-19 के कारण सभी स्कूल बंद हो चुके थे। प्रतिदिन विद्यालय आने से विद्यार्थियों की एक सुनिश्चित दिनचर्या होती थी परंतु कोरोनाकाल में विद्यालय बंद हो जाने से विद्यार्थी अपनी दिनचर्या का पालन नहीं कर पाए, जिसका सीधा प्रभाव उनके मानसिक विकास पर पड़ा है। वैसे तो कोरोना में ऑनलाइन कक्षा का आयोजन किया जा रहा था जिसमें कुछ बच्चे पढ़ाई तो कर रहे

विशेष प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य बिंदु

1

आयु अनुरूप प्रवेश – 6 से 14 वर्ष

2

प्रशिक्षण अवधि – 3 माह से 2 वर्ष

3

उद्देश्य – प्रशिक्षण उपरान्त विद्यालय की मुख्य धारा में प्रवेश

थे और अपना ज्यादा समय तकनीकी उपकरणों के साथ व्यतीत कर रहे थे। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। विशेष रूप से आँखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से दबाव में हैं। इसके अलावा विद्यालयों में पढ़ने वाले कई बच्चों के माता-पिता दैनिक मजदूरी, खेती या छोटे-मोटे काम करते थे जो लॉकडाउन के कारण बंद हो गए। कोरोना के कारण उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ा और मजबूरीवश उन्हें अपने गाँवों में लौटना पड़ा। कई बच्चों के गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्र के होने के कारण उन्हें स्मार्टफोन एवं पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसकी वजह से शिक्षा से संबंधित किसी तरह की कोई गतिविधि बच्चे नहीं कर पाए। इस तरह विद्यार्थियों के जीवन पर कोरोना का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा है। जिसने बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाला है।

कोरोना के कारण बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो बच्चा जब विद्यालय आता है तब

वह अपने साथियों के साथ सुबह की प्रार्थना से लेकर विद्यालय समय के अंत तक विभिन्न गतिविधियाँ या क्रियाकलाप करता है, जैसे— खेलकूद, सामूहिक वार्तालाप, एक दूसरे का सहयोग, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। कोविड-19 की वजह से उसका अपने साथियों के साथ खेलना बंद हो गया और उनसे मिलना बंद हो गया। साथियों से न मिलने के कारण एवं परेशानियों से जूझने के कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत कमी आई है। महामारी के दौरान बच्चों के पास सीखने के लिए ज़रूरी अवसर एवं साधन की उपलब्धता तक नहीं थी। कई बच्चे तो ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं था। अब बच्चे कक्षा में तो लौट आए हैं लेकिन अभी भी उनमें वह डर बना हुआ है, क्योंकि वे पढ़ाई से और दूर हो गए थे। घर की विपरीत परिस्थितियों तथा जीवन की सुरक्षा के प्रयास में बच्चों की शिक्षा का हरण कर लिया है। बच्चे अब काम को महत्ता देने लग गए हैं। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक लघु शोध किया गया जिसका

उद्देश्य था— शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत संचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर कोविड-19 के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन के कारणों का अध्ययन।

विशेष प्रशिक्षण केंद्र में आने वाले बच्चों की अपनी पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएँ हैं। उनके साथ-साथ कोविड-19 की समस्या का जुड़ जाना इनके विद्यालय तक आए कदमों को पुनः पीछे धकेलता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ़ भविष्य के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ़ वर्तमान में जीवित रहने के लिए प्राथमिक आवश्यकता भोजन की कमी को पूरा करना है।

इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक सह-शिक्षा विद्यालय, जंगपुरा के विशेष प्रशिक्षण केंद्र का चयन किया। इस विद्यालय में अलग-अलग परिवेश से होने के कारण बहुत विविधता वाले बच्चे हैं, जैसे— बाहर से आए हुए अफ़गानी बच्चे (प्रवासी), अपनी जीविका हेतु एक जगह से दूसरी जगह खेतों में काम या मजदूरी करने आए परिवारों के बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे, निरक्षर या अल्प-शिक्षित अभिभावकों के बच्चे, घरेलू कामकाजी बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित बच्चे, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे, भीख माँगने के काम में लगे बच्चे, सड़क पर काम करने वाले बच्चे, रेलवे प्लेटफ़ॉर्म तथा बस अड्डों पर रह रहे बच्चे, मजदूरी के लिए ढाबे/रेस्टोरेंट में या कहीं अन्य काम कर रहे बच्चे, रैन बसेरों में रहने वाले बच्चे, अनाथ या निराश्रित बच्चे आदि।

विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों के कोविड-19 के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन के

कारणों एवं दुष्प्रभावों को जानने के लिए केस अध्ययन विधि का चयन किया गया। यह केस अध्ययन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक सह-शिक्षा विद्यालय, जंगपुरा विस्तार, नयी दिल्ली के विशेष प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों पर किया गया है। विशेष प्रशिक्षण केंद्र में आयु अनुसार प्रवेश लेने के पश्चात् विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो कक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बच्चे कक्षा 1 से 5 का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, का चयन किया गया। शोधार्थी द्वारा बच्चों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्र की शिक्षिका द्वारा कोविड-19 के दुष्प्रभावों को साक्षात्कार के माध्यम से एकत्रित किया गया।

विशेष प्रशिक्षण केंद्र में आने वाले बच्चे अलग-अलग परिस्थितियों का सामना करते हुए केंद्र तक आते हैं। ऐसे में कोरोनाकाल की वजह से होने वाले लॉकडाउन एवं बेरोज़गारी ने इनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। दूसरे राज्यों से आए बच्चे तथा आसपास की बस्तियों से आए बच्चे विशेष प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन कर रहे थे। इस शोध के माध्यम से विद्यालय केंद्र के कुछ बच्चों ने कोविड-19 के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना किया, इस पर प्रकाश डाला गया है—

- विद्यालय की कक्षा 4 की छात्रा ने बताया कि वह एक अफ़गानी है, जो अपने माता-पिता के साथ पास की झुग्गी बस्ती में रहती है। जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो शुरुआत में वह खुश थी कि उसके माता-पिता उसके साथ हैं और उसे समय दे पा रहे हैं लेकिन कुछ हफ़्ते बाद ही उनके घर में पैसे और अनाज खत्म होने लगा। लॉकडाउन की वजह से उसकी माता व पिता दोनों की नौकरी चली गई थी। थोड़े समय

के बाद घर में खाने को कुछ नहीं बचा, घर में सब बहुत परेशान हो गए। विद्यालयों में राशन बाँटा जा रहा था, वह लोग वहीं से मिलने वाले राशन (दाल, चावल, आटा, तेल) को लाकर समय गुज़ार रहे थे। इसके बाद अब जब उसके माता-पिता काम पर जा रहे हैं, तो सब अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद, अब वह फिर से विद्यालय जा पा रही है।

- कक्षा 5 के एक विद्यार्थी ने बताया कि वह मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, पिता मज़दूरी करने दिल्ली आए तो पूरा परिवार भी उनके साथ दिल्ली आ गया था। पिता मज़दूरी करते हैं और माता लोगों के घर में जाकर काम करती हैं। जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ तो घर में बहुत परेशानी हो गई। खाने का कुछ भी सामान नहीं बचा। तब उसके पिता ने अपने परिवार के साथ बिहार लौटना उचित समझा। वह अपने परिवार के साथ बिहार जाने के लिए निकला। रास्ते में कोई साधन न मिलने के कारण वह बहुत दूर तक पैदल गए एवं रास्ते में बटने वाले खाने से अपनी भूख-प्यास मिटाई। उन्हें बड़ा डर लग रहा था कि वह कैसे और कब घर पहुँचेंगे। वह रातों को सड़कों के आसपास ही रुकते थे। विद्यार्थी ने बताया कि रास्ते में लोगों ने उनके पास से खाना और मोबाइल भी छीन लिया था, बड़ी मुश्किल से वह अपने घर (बिहार) पहुँचे। इन परेशानियों का सामना करने के बाद विद्यार्थी ने सोच लिया था कि वह कभी दिल्ली नहीं आएगा और बिहार में रहकर ही खेती में अपने अभिभावक की मदद करेगा। अभी वर्तमान में विद्यार्थी लगभग 1 वर्ष और 8 माह बाद पुनः नवंबर 2021 में दिल्ली आकर विशेष प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ाई कर रहा है।

- कक्षा 4 की विद्यार्थी जो अफ़ग़ानी है, का कहना है कि वह अपनी माँ के साथ विद्यालय के पीछे झुग्गी बस्ती में रहती है। कोविड-19 के दौरान पिता की मृत्यु हो जाने से वह बहुत ही डर गई थी। चारों तरफ़ फैले हाहाकार से अब वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती। उसे लगता है कि हम सब कहीं मर तो नहीं जाएँगे। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी माँ ने ही सब कुछ संभाला। माता के काम पर चले जाने के बाद वे अपने छोटे भाई-बहन को संभालती है। कोविड-19 के दौरान उनके घर में विद्यालय में बँटने वाला राशन आता था और कई बार वह और उसके भाई बाहर बाँटने वाले के आने पर लाईन में लगकर खाना खाते थे। इस तरह बड़ी मुश्किलों के बाद उनकी माँ को काम मिला और अब उनकी परेशानियाँ कुछ कम हुई हैं। लेकिन पिता के नहीं होने से वह बहुत दुःखी है क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई है।

- कक्षा 2 की विद्यार्थी ने बताया कि यह दो साल उनके लिए बड़ी मुश्किल भरे थे। वे लोग दिल्ली से ही हैं, और विद्यालय के पीछे बनी झुग्गी में ही किराये पर रहते हैं। लॉकडाउन लगने की वजह से माता-पिता दोनों के काम छूट गए और घर पर रहने की वजह से घर में राशन और पैसे धीरे-धीरे खत्म होने लगे। मकान मालिक भी किराये के लिए परेशान करने लगा। एक दिन मकान मालिक ने सारा समान घर के बाहर कर दिया। विद्यार्थी के पिता ने सारा समान पैक किया और वो जंगपुरा प्लेटफ़ॉर्म के नीचे ही परिवार के साथ रहने लग गए। खाना-बाँटने के लिए जो लोग आते उनसे खाना लेकर कई महीनों तक उन्होंने गुज़ारा किया। लॉकडाउन खुलने से उनके पिता

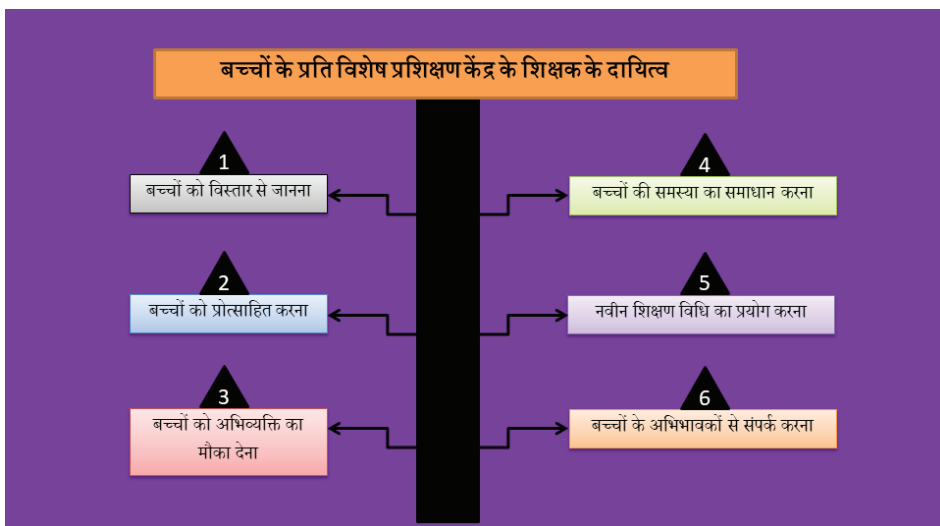
और माता को दोबारा काम मिला तब उन्होंने वापस कमरा किराये पर लिया। परिस्थिति थोड़ी ठीक होने के बाद में उन्होंने वापस विद्यालय की शिक्षिका से पूछकर पढ़ाई करना शुरू किया।

- विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा ने बताया कि उनके घर में सभी को कोरोना हो गया था। जिसकी वजह से सब बीमार थे। लेकिन कोई भी हमारा इलाज नहीं कर रहा था। ना ही कोई हमारे घर आ रहा था। खाने की भी बड़ी परेशानी हो रही थी। वह खुद बाहर जाकर लाइनों में लगकर खाना घर पर ला रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। दादाजी की भी कोरोना से मृत्यु हो गयी थी, तब भी घर पर कोई नहीं आया। उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी दो दिन बाद हुआ। अंत में उनको पिताजी दोस्त के साथ बाइक पर लेकर गए।
- विशेष प्रशिक्षण केंद्र की शिक्षिका ने बताया कि विद्यालय आने वाले विद्यार्थी ऐसे परिवार से आते हैं जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर

कही पीछे छूट गए हैं। कोरोना के भयानक मंजर में इन परिवारों से संबंधित बच्चों के दिल-दिमाग पर इस कदर छाप छोड़ी है कि, बच्चों के मन में आज भी डर बैठा हुआ है। जो उन्हें विद्यालय आने से कहीं न कहीं रोक रहा है। बच्चों को कोरोना से पहले वाला माहौल देने के लिए वह लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों ने कोरोना काल में जिस तरह का माहौल देखा है उसको भूलना एवं पुनः पहले की तरह होने में उन्हें वक्त लगेगा।

बच्चे अपने वातावरण और अपने परिवेश से सीखते हैं। कोरोना काल यानि कोविड-19 की लहर आने से सभी विद्यालय बंद हो गए थे। विद्यालय खुले न होने से विद्यार्थी उस प्राकृतिक आनंद का लाभ नहीं उठा पा रहे थे और प्राकृतिक वातावरण से भी जुड़ नहीं पा रहे थे, जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे।

अब इस बदलाव और कोरोना स्वीकार की अवधि में शिक्षक का बच्चों के साथ तालमेल बिठाना



एक समय-साध्य प्रक्रिया है। किसी भी बच्चे को मौजूदा परिस्थिति या काम को आत्मसात करने के लिए पहले अपने मन-मस्तिष्क को धीरे-धीरे तैयार करना पड़ता है। हालाँकि, शिक्षक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस महामारी से उत्पन्न दबावों और तनावों से बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ने वाले आघात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके भविष्य को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

हम सभी जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ बच्चा कभी स्वयं से, तो कभी आसपास से, कभी अपने मित्रों से, तो कभी अपने शिक्षक द्वारा सीखने की कोशिश करता है। दिन-प्रतिदिन वह अपनी समझ को विकसित करने की कोशिश करता रहता है। अतः सीखने-सिखाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले या प्रक्रिया के दौरान केंद्र के शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए—

- शिक्षक को स्वयं व बच्चों को तनावमुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए वह बच्चों को योगासन व शारीरिक क्रियाएँ करवा सकते हैं।
- शिक्षक को बच्चों के बारे में विस्तार से जानना चाहिए क्योंकि ये बच्चे कोविड-19 की अलग-अलग परिस्थितियों का सामना करके आए हैं।
- शिक्षक को एक मित्र, सहजकर्ता, सुगमकर्ता व सहयोगी की तरह बच्चों द्वारा कोविड-19 में आई उनकी समस्याओं को पहचाने व समझने का प्रयास करना चाहिए।
- समस्या के पीछे के कारणों को जानें कि बच्चे को क्यों इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
- विशेष केंद्र के इन बच्चों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानने के बाद ज़रूरी है कि

इन समस्याओं के पीछे के कारणों को जानकर बच्चों की समस्याओं का उपचार किया जाए। समाधान या हल करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि प्रत्येक समस्या का केवल एक ही उपचार नहीं हो सकता। जिस प्रकार समस्याएँ अलग-अलग होती हैं उसी प्रकार उनके उपचार भी अलग-अलग होते हैं। अतः समस्या के परिणाम और प्रभावों को जानते हुए उनका समुचित समाधान करें।

- शिक्षक बच्चों को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे अभिभावकों से मिलकर बच्चे की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करें। यदि अन्य व्यवहारगत परेशानी है तो बच्चों की काउंसलिंग करके उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 में शिक्षा से दूर होने की वजह से यदि कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तो भी उसे प्रोत्साहित कर परिस्थितिकूल शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह शिक्षक बच्चों की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं।
- शिक्षक वित्तीय व सामाजिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर बच्चों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
- शिक्षक सफलता से संबंधित कहानी सुनाकर बच्चों को अतीत और भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान पर ध्यान देने को प्रेरित कर सकते हैं।
- शिक्षकों को बच्चों को परंपरागत विधियों के साथ ही नवीन विधियों से भी शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। शैक्षिक प्रविधियों का प्रयोग बच्चों की आयु के अनुसार करना चाहिए, जैसे— छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं।

तब उन्हें खेल, कहानी या करके सीखने आदि के द्वारा समझ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे— खेल विधि के माध्यम से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए घर में, पार्क में विभिन्न आयुवर्ग के बच्चे मिलकर एक साथ खेलते हैं, जिससे बच्चे खेल-खेल में कई सामाजिक नियमों को सीख लेते हैं। अतः समूह साथी शिक्षण को भी अपनाना चाहिए और वातवरण के द्वारा भी सिखाने का प्रयास करना चाहिए।

- जिस काम को करने में बच्चे को मज़ा आता है और वह आनंद अनुभव करता है, वह उसे करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। इसलिए शिक्षक को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की रुचि को प्राथमिकता देनी होगी और इसके अनुसार ही विषयवस्तु का चुनाव करना होगा। जिससे ये बच्चे भी आनंद का अनुभव करते हुए विषयवस्तु के प्रति अपनी समझ बनाएँ। शिक्षक उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रोत्साहित करें।
- शिक्षक पढ़ाते समय बच्चों की मनोदशा को समझते हुए सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करें। छोटे बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस अवस्था के बच्चों को चीज़ें दिखाकर आसानी से सिखाया जा सकता है और इस प्रकार सीखा गया ज्ञान काफ़ी स्थायी प्रकृति का होता है।
- बच्चों को अपनी बात कहने व अभिव्यक्ति का पूरा मौका दें। क्योंकि हर बच्चे के अंदर

अलग-अलग योग्यताएँ होती हैं, शिक्षक इस बात को समझकर उन योग्यताओं को बाहर लाने एवं विकसित करने का प्रयास करें।

- बच्चों के माता-पिता से संपर्क बनाए रखने की कोशिश करें व बच्चों के मज़बूत पहलुओं से परिचित कराएँ। जिससे वह उन्हें सेंटर भेजने के लिए प्रेरित हों।

निष्कर्ष

इस तरह हम समझ सकते हैं कि लॉकडाउन या कोविड-19 ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति पर कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव डाला है। पर अब स्थितियाँ सुधर गई हैं और शिक्षक बच्चों को उस दुःख को भूलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षक इसके अलावा निम्न कार्य भी कर सकते हैं, ताकि वे पुनः पहले की तरह खुश और शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो जाएँ—

- बच्चों को योगासन व शारीरिक क्रियाएँ करवाना।
- बच्चों के बारे में विस्तार से जानना।
- बच्चों की समस्याओं को पहचानें और समझने का प्रयास करना।
- बच्चों को अपनी बात कहने व अभिव्यक्ति का पूरा मौका देना।
- बच्चों के माता पिता से लगातार संपर्क में रहना एवं बच्चे की प्रगति और व्यवहार से उन्हें अवगत कराना।
- शिक्षण में नवीन विधियों का उपयोग करना।

संदर्भ

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. भारत का राजपत्र.

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (दूसरा संशोधन) बिल 2007. http://mhrd.gov.in/sites/upload-files/mhrd/files/upload_document/RTE-2007.pdf

वर्मा, सरला. 2020. उड़ान— आदर्श सेतु पाठ्यक्रम के संचालन हेतु हस्तपुस्तिका. <https://theprint.in/india/64-kids-in-rural-india-fear-they-have-to-drop-out-if-not-given-additional-support-survey/625146/>